4922/रा0प0/दि0 21-12-2016

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या–1581 /XVIII(1)/2016-2(19)/2016
देहरादून: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 के खण्ड (25) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के ग्राम जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा को पृथक राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3– इस प्रकार गठित नये राजस्व ग्राम जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा की चौहद्दी व क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित सलग्न है।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2016 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, आयुक्त कुमाऊं मण्डल, नैनीताल एवं जिलाधिकारी, नैनीताल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

अपर राजस्व आयुक्त (क्षे0) ... श्री ... हल्द्वानी ...
20/12/16

Revenue Village

संख्या–1541 (1)/XVIII(1)/2016 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के सम्बन्धित तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुए अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव